साबिर बनाम नबाब अली मु.न. 941/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.5.25	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9.5.25 को पेश हो।	
9.5.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सांकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 94 / 2023

1 साबिर अली आयु 55 साल पुत्र स्व. वारस खां
2 आयूब खां पुत्र सफी मोहम्मद
3 उमेद खां पुत्र यासीन खां
समस्त जाति पठान मुसलमान निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।

अपीलांटस / प्रतिवादीगण

बनाम

1 नवाब अली आयु 60 साल
2 निसार अली आयु 40 साल
पुत्रगण स्व. वारस खां समस्त जाति पठान मुसलमान निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस / वादीगण

3 हासम अली खां
4 गुलाब खां
5 रयाज खां
पुत्रगण सुल्तान खां
6 नूर बानो
7 बुन्दी बानों
8 रूखसाना
पुत्रियां सुल्तान खां
समस्त जाति पठान मुसलमान निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।
9 तहसीलदार सीकर ग्रामीण जिला सीकर
10 गुलाम सरवर
11 शोकत अली
12 जावेद अली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पुत्रगण वारस खां
13 भंवरी
14 रहीसा
15 परवीन बेगम
16 आबिद
17 साहिना
पुत्रियां वारस खां
18 बलकेश बानो पत्नी मोहम्मद पीर पठान
19 मोहम्मद अजहरूदीन
20 मोहम्मद रमीज पठान
21 सोना बानो
22 शबनम बानो
23 सुमया बानो
पुत्रियां मोहम्मद पीर पठान
24 अयूब खां पुत्र सफी मोहम्मद
25 गुलशन बानो पुत्री सफी मोहम्मद
26 समी बानो पुत्री लियाकत अली
27 साहिल खान पुत्र लियाकत अली
28 वाजिद पुत्र लियाकत अली
29 करीमन पत्नी यासीन खां
30 उम्मेद खां
31 अली हसन
32 इमरान पठान
पुत्रगण यासीन खां
33 महराज बानो
34 जरीना बानो
35 मदीना बानो
36 मोबीना बानो
37 नूर बानो
पुत्रियां यासीन खां
समस्त जाति पठान मुसलमान निवासीगण ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस / प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 72/2023 बउनवानी नवाब अली आदि बनाम हाशम अली वगै. तारीख फैसल दिनांक 28.06.2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में दावा डिक्री किया गया

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रिजवान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 72/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 118/1, 118/3, 118/4 जिसके नये खसरा नम्बर 191, 192 वाके ग्राम सबलपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस के पास रेस्पोडेन्टस/वादी संख्या 1 व 2 नोटिस लेकर गये ओर कहा कि शमसेर अली व आरिफ वाली जमीन के अलावा अन्य जमीनों के खातों की दुरूस्ती करवा रहे है आप तो यहां साइन कर दो आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस/वादी संख्या 1 व 2 की बात पर विश्वास करके सम्मन पर हस्ताक्षर कर दिये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सत्यमेव जयते सीकर

अपीलान्टस अनपढ है मात्र हस्ताक्षर करना जानते है इसलिए क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था पता नहीं न ही अपीलान्टस को दावे की कापी को पढ़कर बताया गया जुबानी तौर पर बताया गया था इसलिए अपीलान्टस अदालत हाजा के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी को गुड फेथ में हाजिर नहीं हो सके इस कारण विचारण न्यायालय का इकतरफा कार्यवाही करने का आदेश प्राकृतिक सिद्धान्त के न्याय के खिलाफ है अपीलान्टस को सुनवाई के कीमती अधिकार से वंचित किया गया है। कालू खां के एक छोटा भाई अब्दू खां था और अब्दू खां के तीन लड़के मुश्ताक खां, कबीर खां व कायम खां हुए अब्दू खां की मृत्यु के पश्चात खसरा नम्बर 192 नया रकबा 1.02 हैक्टेयर मुश्ताक खां, कबीर खां व कासम खां को प्राप्त हुआ फिर आपसी भाई बंटवारे में खसरा नम्बर 192 नया रकबा 1.02 हैक्टेयर मुश्ताक खां को प्राप्त हुआ और मुश्ताक खां की मृत्यु के पश्चात उसके लड़के शमसेर अली व मोहम्मद आरिफ को प्राप्त हुआ इस कृषि भूमि पर शमसेर अली व मोहम्मद आरिफ काबिज है इन दोनों भाईयो ने तारबन्दी कर रखी है खसरा नम्बर 192 पर अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 अर्था सुल्तान खां के वारिसान का कोई कब्जा काश्त नहीं है इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अब्दू खां के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया स्वीकृत रूप से राजू खां के चार पुत्र थे जिनमें दीनू खां, कालू खां, अब्दू खां, सुल्तान खां, थे इनमे सबसे बड़े कालू खां थे कर्ता खानदान होने से राजू खां की मृत्यु के पश्चात खातेदारी कालू खां के नाम से दर्ज हो गई थी जबकि खसरा नम्बर 192 नया रकबा 1.02 हैक्टेयर पर अब्दू खां के वारिसान में उनके पौते शमसेर अली व मोहम्मद आरिफ का पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर व कब्जाधारियों को पक्षकार नहीं बनाकर विचारण न्यायालय को मुगालता देकर निर्णय व डिक्री पारित करवाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 द्वारा उदघोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था तथा इनके द्वारा अपना कोई कब्जा काश्त भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से खसरा नम्बर 192 पर साबित नहीं किया गया था तथा न ही रेस्पोडेन्टस/वादीगण संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 के मध्य कोई राजीनामा पेश हुआ था विचारण न्यायालय ने बिना किसी सबूत व कब्जे काश्त के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 के पक्ष में खातेदारी दर्ज कर दिये जाने का आदेश पारित किया गय है जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 ने आपस में साजिश करके विचारण न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया है तथा खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर के वास्तविक कब्जेधारियों को पक्षकार नहीं बनाया वास्तविक तथ्यों को छिपाकर विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया है विचारण न्यायालय ने कब्जे से संबंधित कोई खसरा गिरदावरी कोई लगान की रसीद आदि व कोई मौखिक साक्ष्य नहीं लिये बिना किसी साक्ष्य सबूत लिये ही खसरा नम्बर 192 की खातेदारी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 8 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है जबकि उनके द्वारा कोई दावा व काउंटर दावा पेश करके विचारण न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है बिना राजीनामें काउंटर दावे के ऐसा अनुतोष दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपील के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड़ में मौके पर खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर पर जबरन व ताकत के बल पर कब्जा करने की कुचेष्टा में परिवार में लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा बढ़ गया है इसलिए अपीलान्टस की ओर से यह अपील पेश की जा रही है। खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर पर कभी भी सुल्तान खां जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 के पिता है उनका कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही उनके वारिसान का रहा इसलिए भी जैर अपील निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट नवाब अली एवं निसार अली की ओर से उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 निर्णित एवं डिक्री किया जाकर ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 191 रकबा 1.07 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 को संयुक्त रूप से 1/36–1/36 प्रतिवादीगण संख्या 17 लगायत 22 को संयुक्त रूप से 1/36 बहिस्सा बराबर बराबर प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 प्रत्येक को 1/9–1/9 प्रतिवादीगण संख्या 25 लगायत 27 को संयुक्त रूप से 1/9 बहिस्सा बराबर बराबर प्रतिवादीगण संख्या 28 लगायत 36 को संयुक्त रूप से 1/3 बहिस्सा बराबर बराबर काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ किया जाकर इसी ग्राम में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को संयुक्त रूप से बराबर बराबर काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित वर्तमान इन्द्राज को निरस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं अमल दरामद करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की आदेशिका 16.06.2023 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से 36 की तामील विधिवत जरिये तहसीलदार होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8, 23 एवं 29 के रूप में दर्ज रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री करने का कथन किया गया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब दावा अथवा काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत वाद कथन इकबाली जवाब दावें एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में कुल 36 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल मात्र तीन प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। शेष किसी भी प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट नवाब अली एवं निसार अली की ओर से उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 निर्णित एवं डिक्री किया जाकर ग्राम सबलपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 191 रकबा 1.07 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 को संयुक्त रूप से 1/36-1/36 प्रतिवादीगण संख्या 17 लगायत 22 को संयुक्त रूप से 1/36 बहिस्सा बराबर बराबर प्रतिवादीगण संख्या 23 व 24 प्रत्येक को 1/9-1/9 प्रतिवादीगण संख्या 25 लगायत 27 को संयुक्त रूप से 1/9 बहिस्सा बराबर बराबर प्रतिवादीगण संख्या 28 लगायत 36 को संयुक्त रूप से 1/3 बहिस्सा बराबर बराबर काबिज खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से नाम हजफ किया जाकर इसी ग्राम में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को संयुक्त रूप से बराबर बराबर काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित वर्तमान इन्द्राज को निरस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं अमल दरामद करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय की आदेशिका 16.06.2023 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 से 36 की तामील विधिवत जरिये तहसीलदार होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 8, 23 एवं 29 के रूप में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दर्ज रहे है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद वादी डिक्री किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री करने का कथन किया गया है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब दावा अथवा काउंटर क्लेम प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत वाद कथन इकबाली जवाब दावें एवं दस्तावेजी साक्ष्या के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में कुल 36 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल मात्र तीन प्रतिवादीगण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। शेष किसी भी प्रतिवादीगण ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण नवाब व निसार पुत्र स्वर्गीय वारस खां की ओर से दावा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 191 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 16 को 1/36– 1/36 हिस्से का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। विचाराधीन निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने यही अनुतोष प्रदान किया है। अपीलान्ट संख्या 1 साबिर अली वादीगण का सगा भाई है। विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट साबिर अली को खसरा नम्बर 191 में 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलांट ने अपनी अपील में खसरा नम्बर 192 के हद तक निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। खसरा नम्बर 191 के संदर्भ में अनुतोष नही चाहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अस्पष्ट कथनों के साथ प्रस्तुत की गई है। चुंकि खसरा नम्बर 191 में अपीलांट खातेदार घोषित हो चुका है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 192 के संदर्भ में आंशिक तौर पर चाहा गया अनुतोष विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलान्ट द्वारा अपील के अनुतोष में यह अनुतोष चाहा गया है कि विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2023 को खसरा नम्बर 192 रकबा 1.02 हैक्टेयर की हद तक खारीज फरमाया जावें। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष किसी भी विधिक प्रावधान के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 9/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी,
सीकर